(वाद सं0.–1203/4/9/2021)

06.04.2022

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के माध्यम से राज्य आयोग द्वारा दिनांक–03.02.2022 के आदेश के विरूद्ध परिवादी, अजय कुमार, की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका प्राप्त होने पर उक्त याचिका के साथ संचिका सं0–1203/4/9/2021 उपस्थापित किया गया है साथ ही साथ समान आशय का परिवादी की ओर से दाखिल एक अन्य परिवाद (संचिका सं0–1960/4/9/2021 भी) उपस्थापित किया गया है।

दोनों संचिकाओं का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, बेतिया के एक पुलिस पदाधिकारी, अतुल्लाह नट द्वारा बिना किसी घटना के परिवादी, अजय कुमार, को 24 घंटे से भी ज्यादा थाना हाजत में बंद करके उसके साथ मारपीट कर उसे जख्मी किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर **पुलिस अधीक्षक, पश्चिमो चम्पारण (बेतिया)** से प्रतिवेदन की मांग की गयी। **पुलिस अधीक्षक, पश्चिमो चम्पारण (बेतिया)** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के पड़ोसी, कंचन कुमारी, के परिवादी, उसके भाईयों व अन्य लोगों द्वारा उसके साथ अपशब्द बोलने, गाली–गलौज करने तथा कंचन कुमारी की बहन का बाल पकड़कर जमीन पर गिरा देने व घर में घुसकर तोड़फोड़ करने से संबंधित धटना का आवेदन पुलिस अधीक्षक, पश्चिमो चम्पारण (बेतिया) को दिये जाने पर इस संबंध में पुलिस द्वारा परिवादी से पूछ–ताछ कर दोनों पक्ष को समझा बुझा दिया गया तथा दोनों पक्ष द्वारा इस सहमति का एक हस्ताक्षरित लिखित आवेदन पुलिस को दिया गया। बाद में कंचन कुमारी द्वारा परिवादी के विरूद्ध बेतिया नगर थाना कांड सं0–766/2020 संस्थित कर दिये जाने से परिवादी द्वारा मनगढ़न्त घटना के आधार पर पुलिस के विरूद्ध अनाप–शनाप आरोप लगाकर प्रसंगाधीन परिवाद राज्य आयोग के समक्ष दाखिल किया गया है, इसके अतिरिक्ति उक्त कंचन कुमारी द्वारा परिवादी व उसके परिवार के विरूद्ध एक अन्य बेतिया नगर थाना कांड सं0–225/2021 भी संस्थित किया गया है, उक्त दोनों कांड वर्तमान **अन्वेषणान्तर्गत** है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी द्वारा ससमय राज्य आयोग के समक्ष अपना प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किये जाने के कारण पुलिस प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग द्वारा **संचिकास्त** कर दिया गया।

तदोपरान्त्, परिवादी की ओर से राज्य आयोग के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में प्रसंगाधीन पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गयी है।

परिवादी द्वारा अपनी नवीन आवेदन में ऐसा कोई नवीन तथ्य उजागर नहीं किया गया है जिससे प्रसंगाधीन मामले में राज्य आयोग द्वारा अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक–03.02.20222 पर पुर्नविचार किया जा सकें।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिवादी की ओर से समान आशय का पूर्व में दाखिल एक अन्य परिवाद को राज्य आयोग के दूसरे **पीठ** द्वारा, (संचिका सं0–1960/4/9/2021) दिनांक–12.07.2021 को पुलिस अधीक्षक, पश्चिमो चम्पारण को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के साथ भेजते हुए उक्त मामले को **संचिकास्त** कर दिया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले से संबंधित दो आपराधिक मामले वर्त्तमान में अन्वेषणान्तर्गत हैं तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामलें में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वैसे परिवादी के पुलिस के अनुसंधान से असहमत रहने की स्थिति में अगर वह चाहे तो संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु याचना कर सकते है।

अतः प्रसंगाधीन मामले के गुण दोष के आधार पर **पुलिस अधीक्षक, पश्चिमो चम्पारण (बेतिया)** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **पुलिस अधीक्षक, पश्चिमो चम्पारण (बेतिया)** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलंग्नको सहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक